(108)

कार्यालय आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

पत्रांक /जि0यो0–पशुपालन/2011–12 दिनांक सितम्बर 12, 2011

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/रा0यो0आ0/जि0 यो0/2008 दिनांक 24.03.2008 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के पत्र संख्या 2715/ लेखा–2/भवन निर्माण/2011–12 दिनांक 06.09.2011 द्वारा प्रेषित संस्तुति के आधार पर जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में निम्नानुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये हैं। उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों का अधीक्षण अभियंता, निजी लघु सिंचाई हल्द्वानी (उत्तराखण्ड) से तकनीकी परीक्षणोपरान्त निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत लागत (लाख रू0 में)	वर्ष 2011–12 में जारी प्रशासनिक स्वीकृतियां (लाख रू0 में)	वर्ष 2011–12 में जारी वित्तीय स्वीकृतियां (लाख रू0 में)
1.	विकास खण्ड, बेतालघाट के ऊँचाकोट में पशु चिकित्सालय के निर्माण कार्य की परियोजना।	67.57	8.20	8.20

1. जिलाधिकारी, नैनीताल सुनिश्चित करेंगे कि योजना में वित्तीय स्वीकृति की धनराशि से अधिक धनराशि किसी भी दशा में बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति किये बिना आवंटित/व्यय नहीं की जायेगी। योजनाओं की लागत की स्वीकृति जिला योजना समिति से करवा ली जाय।

2. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें, तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

3. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय, कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

4. धनराशि केवल उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी जिसके लिए शासन द्वारा धनावंटन किया गया है।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाये तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाय। धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।

6. यह कार्य स्वीकृत लागत पर पूर्ण कराये जाय तथा विलम्ब के कारण यदि कोई वृद्धि होती है तो विभाग द्वारा उसे अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा।

7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

8. योजना निर्माण के संबंध में शासन से समय–समय पर जारी सभी शर्तों एवं नियमों का परिपालन किया जाना अनिवार्य होगा। अवमुक्त धनराशि को शासन द्वारा निदृष्ट मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

ह0/-
(कुणाल शर्मा)
आयुक्त।

कार्यालय आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

संख्या 1122 / जि0यो0–पशुपालन /2011–12 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. संयुक्त सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल।
8. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. अपर निदेशक, पशुपालन, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
12. प्रोजैक्ट मैनेजर, निर्माण यूनिट, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर।
13. अर्थ एवं संख्याधिकारी नैनीताल।
14. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
15. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, भीमताल (नैनीताल)।
16. गार्ड फाईल।

Kumar

आयुक्त,
कुमाऊँ मण्डल।